श्री उमेश सिंह कुशवाहा (महनार), माननीय स॰वि॰स॰ से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-18/2/1489 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः- क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत महनार प्रखण्ड एवं महनार नगर परिषद क्षेत्र में विगत कई वर्षों से लगातार भीषण बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति एवं फसल की बर्बादी होती है, यदि हाँ, तो सरकार प्रत्येक वर्ष होने बाले बाढ़ से इस क्षति को रोकने के लिए कबतक बांध का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिला के महनार प्रखंड एवं महनार नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत लहौरी चक से हसनपुर बॉर्डर तक की कुल लंबाई लगभग 6.00 कि०मी० है। महनार बाजार के लहौरीचक से हबराहा तक का भाग हाई पैच में अवस्थित है जिसकी कुल लम्बाई लगभग 4.00 कि०मी० है एवं घनी आबादी बसी हुई है। बाढ़ अवधि में गंगा नदी के जल के फैलाव को रोकने हेतु हबराहा से हसनपुर सीमा तक लगभग 2.12 कि०मी० में डॉवेल निर्मित है जो प्रभावी एवं सुरक्षित है। वर्तमान में उक्त भाग में बाँध निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(मुज0)–05–48 / 2026–   पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–18 / 2 / 1489 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(मुज0)–05–48 / 2026– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(मुज0)–05–48 / 2026– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0स0प्र0(मुज0)–05–48 / 2026– 1064 पटना, दिनांक– 27/02/2026
प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26.02.26
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
26.02.26

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo